इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष ४०/रुपये
(आईएसओ ९००१ : २००८ प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : ८ अंक सं. : १ अगस्त २०१५ पृष्ठों की सं १८

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां----------२
बैंकिंग जगत की घटनाएं----------४
विनियामकों के कथन ---------- ५
बीमा ---------- ८
अर्थव्यवस्था---------- ९
विदेशी मुद्रा ----------१०
नयी नियुक्तिया ----------११
उत्पाद एवं गठजोड ---------- ११
शब्दावली / वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ---------- ---- १३
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां----------१३
संस्थान समाचार----------१४
बाज़ार की खबरें----------१५

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

किसानों को अधिक ऋण दिलाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंड

लघु एवं सीमांत किसानों को अधिक ऋण दिलाने के एक अभियान में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से यह सुनिश्चित करने हेतु कहा है कि गैर-कारपोरेट कृषकों को प्रत्यक्ष उधार पिछले तीन वर्षों की उपलब्धियों के प्रणाली-व्यापी औसत से कम न हो। कृषि को प्रत्यक्ष उधार बढ़ाने के एक प्रयास में हाल ही में संशोधित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र मानदंडों के तहत यह लक्ष्य २०१५-१६ के लिए बढ़ाकर ७ प्रतिशत और २०१६-१७ के लिए ८ प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा, कई प्रकार के कारपोरेट ऋणों को प्रत्यक्ष उधार की हैसियत पाने से अलग कर दिया गया है। इसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मझोले और बड़े किसानों सहित कृषि को समग्र प्रत्यक्ष उधार बढे।

पुनर्व्यवस्था कार्य के उचित मूल्य पर भारतीय रिज़र्व बैंक की नीति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि पुनर्संरचना किए जाने पर उचित मूल्य में ह्रास का निर्धारण करने के उद्देश्य से भावी नकदी प्रवाहों को बट्टाकृत करने हेतु पुनर्संरचना से पहले उधारकर्ता से प्रभारित की जाने वाली वास्तविक ब्याज दर के बराबर वाली दर का उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां किसी उधारकर्ता को मौजूदा ऋण सुविधाओं पर अलग ब्याज दरें लागू की जाती हैं वहां भारित औसत दर (पुनर्संरचना की तिथि को उधारकर्ता की कुल बकाया रकम में प्रत्येक ऋण सुविधा के अंश सहित भार के रूप में प्रयुक्त होने वाली) का बट्टा दर के रूप में उपयोग किया जाना चा हिए। इस बट्टा दर का उपयोग पुनर्संरचना-पूर्व वाले नकदी प्रवाहों और उनके साथ ही पुनर्संरचना के पश्चात् वाले नकदी प्रवाहों, दोनों को बट्टाकृत करने हेतु किया जाना चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड की प्राप्य राशियों के सम्बन्ध में अनर्जक आस्तियों के नियम कठोर बनाए

आस्ति वगीकरण के उद्देश्य से किसी क्रेडिट कार्ड खाते की 'विगत प्राप्य राशि' (past due) हैसियत की गणना मासिक क्रेडिट कार्ड विवरण में वर्णित भुगतान की नियत तिथि से की जाएगी। फलत: बैंकों के मामले में किसी क्रेडिट कार्ड खाते को उक्त विवरण में प्राप्य न्यूनतम रकम के विवरण में यथा-वर्णित भुगतान की नियत तिथि से ९० दिनों के भीतर पूर्ण रूप से भुगतान न किए जाने पर अनर्जक आस्ति माना जाएगा। हालांकि, बैंकों को ऋण आसूचना कम्पनियों (CICs) को किसी क्रेडिट कार्ड खाते को विगत प्राप्य के रूप में रिपोर्ट करना चाहिए अथवा दंडात्मक प्रभार अर्थात् विलम्बित भुगतान प्रभार आदि, यदि कोई हो, केवल तभी वसूल करना चाहिए जब कोई क्रेडिट कार्ड खाता तीन दिन से अधिक तक विगत प्राप्य बना रहे। तथापि, विगत प्राप्य दिनों की संख्या और विलम्बित भुगतान प्रभार का परिकलन क्रेडिट कार्ड विवरण मे वर्णित भुगतान की नियत तिथि से किया जाना चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापक रैपिड प्रचालकों द्वारा पूर्व -प्रदत्त कार्ड जारी किए जाने की अनुमति दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नकदी से इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली की दिशा में स्थानांतरण को प्रोत्साहित करने के ि लए व्यापक पारवहन (mass Transit) प्रणालियों के लिए सीमित अवधि के पूर्व-प्रदत्त भुगतान लि खतों की एक नयी श्रेणी की शुरुआत करने के लिए अपनी निर्णायक अनुमति प्रदान कर दी है। अन्य विशेषताओं के साथ ये लिखत पुनर्भरणीय होंगे, २,००० रुपये तक की शेष सीमा वाले हो सकते हैं तथा निर्गम की तिथि से छ: माह की न्यूनतम वैधता अवधि वाले होंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि ये पीपीआई एमटीएस लिखत व्यापक पारवहन प्रणाली प्रचालक द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, २००७ के तहत प्राधिकरण के पश्चात जारी किए जाएंगे। व्यापक पारवहन प्रणाली के अलावा इस प्रकार के पीपीआई-एमटीएस का उपयोग केवल अन्य ऐसे व्यापारियों के स्थलों पर किया जा सकता है जिनके कार्यकलाप पारवहन प्रणाली से सम्बद्ध हों / उनके परिसर के भीतर किए जाते हों। पीपीआई-एमटीएस के रूप में पात्र बनने के लिए उसमें पारवहन से सम्बन्धित स्वचालित किराया वसूली आवेदन का आवश्यक रूप से समावेश होगा।

बैंकों को क्रिल्क का उपयोग करना चाहिए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से ग्राहकों के चालू खाते खोलते समय बड़े ऋणों से सम्बन्धित केन्द्रीय सूचना भंडार/रिपोजिटरी (crilc) में उपलब्ध सूचना का उपयोग करने हेतु कहा है। उन्हें अपनी उचित कर्तव्यपरायणता को केवल उस बैंक से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं रखना चा हिए जिसके पास ग्राहक ऋण सुविधाओं का उपयोग कर रहा हो। बैंकों को बड़े ऋणों से सम्बन्धित केन्द्रीय सूचना भंडार / रिपोजिटरी के डाटाबेस में उपलब्ध आंकड़ों से इस बात का सत्यापन कर लेना चाहिए कि ग्राहक किसी अन्य बैंक से ऋण सुविधा प्राप्त कर रहा है या नहीं। इसके अलावा, बैंक उस आदेशिती बैंक से भी अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं जिसमें चालू खाते में प्रारंभिक जमा चेक के जरिये की गई है।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक की संशोधित मिबोर पद्धति

२२ जुलाई, २०१५ के दिन फाइनैंसियल बेंचमार्क्स इंडिया लिमिटेड - एक-दिवसीय मिबोर के प्रवर्तन के फलस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्न (डिरिवेटिव्स) संघ (FIMMDA) - राष्ट्रीय शेयर बाज़ार (NSE) की - एक-दिवसीय मुंबई अंतर-बैंक बोली / प्रस्ताव दर (एक -दिवसीय मिबिड / मिबोर) की कार्यप्रणाली को संशोधित कर दिया है।

ऋण संकेन्द्रण मानदंडों पर भारतीय रिज़र्व बैंक का दृष्टिकोण

भारतीय रिज़र्व बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के उसी समूह / सहायक कम्पनियों में किए गए उनके निवेशों के लिए ऋण संकेन्द्रण मानदंडों के निर्धारण के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को रियायत देगा, बशर्ते इन निवेशों को घटा कर इस सीमा तक कर दिया गया हो कि इस प्रकार की रकम स्वाधिकृत निधियों के १०% तक रह जाए। इसके साथ ही इस प्रकार के एक्सपोजर दिनांक २७ मार्च, २०१५ के सर्वांगी महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमा न स्वीकार करने वाली अथवा नियंत्रक) कम्पनियों के विवेकसंमत मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, २०१५ और दिनांक २२ फारवरी, २००७ के गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमा न स्वीकार करने वाली अथवा नियंत्रक) कम्पनियों के विवेकसंमत मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश २००७ के अनुसार ऋण / निवेश संकेन्द्रण मानदंडों के अधीन हों। समीक्षा के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि ऋण / निवेश के संकेन्द्रण का निर्धारण करने में निम्नलिखित को छोड़ दिया जाना चाहिए : (क) गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी के (i) उसकी सहायक कम्पनियों (ii) उसी समूह की कम्पनियों के शेयरों में निवल स्वाधिकृत निधियों की गणना के लिए स्वाधिकृत निधियों से वे जितनी घटाई गई हों उस सीमा तक निवेश और (ख) (किराया खरीद और पट्टा वित्त सहित) दिए गए डिबेंचरों, बॉण्डों, बकाया ऋणों एवं अग्रिमों तथा (i) गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी की सहायक कम्पनियों और (ii) उसी समूह की कम्पनियों के पास रखी गई स्वाधिकृत निधियों की गणना के लिए वे जितनी घटाई गई हैं उस सीमा तक जमाराशियों के बही मूल्य।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के मामले में नियंत्रण के अभिग्रहण एवं अंतरण हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वीकृति जरूरी

भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के नियंत्रण के अभिग्रहण एवं अंतरण के मामलों में लेनदेन के पक्षकारों के लिए पहले से सार्वजनिक सूचना दिए जाने तथा उसकी अनुमति प्राप्त किए जाने की आवश्यकता होगी। गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को शेयरों की बिक्री या शेयरों की बिक्री सहित या उसके बिना नियंत्रण के अंतरण के माध्यम से स्वामित्व की बिक्री या

अंतरण करने के कम से कम ३० दिन पहले सार्वजनिक सूचना देनी होगी। इस प्रकार की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति प्राप्त किए जाने के बाद दी जानी होगी। उक्त सार्वजनिक सूचना में स्वामित्व को बेचने या अंतरित किए जाने, अंतरिती के विवरण तथा स्वामित्व / नियंत्रण की ऐसी बिक्री या अंतरण के कारणों के आशय का संकेत दिया जाना होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक खाता समाहर्ता गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी के पक्ष में

भारतीय रिज़र्व बैंक एक नये प्रकार क़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी की अनुमति प्रदान करने हेतु एक ऐसा विनियामक ढांचा लागू करेगा जो सामान्य व्यक्ति को सभी वित्तीय संस्थाओं में उसके खातों को एक सामान्य आरूप में देखने में समर्थ बनाने के लिए एक खाता समाहर्ता (Account Aggregator) के रूप में कार्य कर सकता है। इस प्रकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी का विचार वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) से उद्भूत हुआ है।

भारत , अमेरिका ने कर अपवंचन रोकने के लिए फटका हस्ताक्षरित किए

सितम्बर, २०१५ से भारत और अमेरिका उनके नागरिकों द्वारा एक-दूसरे देशों में खोले गए बैंक खातों अथवा किए गए वित्तीय निवेशों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करना आरंभ कर देंगे। इस मुहिम से अपतटीय कर अपवंचन को रोकने में सहायता प्राप्त होगी। दोनों ही देशों ने कर मामलों के सम्बन्ध में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (FATCA) को कार्यान्वित करने हेतु एक अंतर-सरकारी करार (IGA) हस्ताक्षरित किया। अमेरिका ने उसके करदाताओं द्वारा अन्य देशों में रखे गए खातों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने हेतु २०१० में विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (FATCA) अधिनियमित किया। इसमें अमरीकी वित्तीय संस्थाओं से यह अपेक्षित है कि वे उन विदेशी वित्तीय संस्थाओं को किए जाने वाले भुगतानों के एक हिस्से को रोक लें जो अमरीकी खाता धारकों की पहचान करने तथा उनसे सम्बन्धित सूचना की रिपोर्ट देने पर सहमत न हों। विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (FATCA) के अलावा भारत ने ३ जून, २०१५ को बहुपक्षीय सक्षम प्राधिकारी करार (MCAA) भी हस्ताक्षरित किया है।

काला धन : विदेशी आस्तियों के मूल्याकन हेतु नियम अधिसूचित

काला धन (अप्रकटित विदेशी आय एवं आस्ति) और कर अधिनियम, २०१५ के अधिरोपण के तहत एकबारगी अनुपालन सुविधा के कार्यान्वयन हेतु अधिसूचित नियमों के अनुसार विदेशों में अप्रकटित विदेशी आस्ति रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अब खाता खोलने के समय से जमा की गई रकम पर कर और जुरमाने का भुगतान करना होगा। उक्त अनुपालन सुविधा खाता धारक को विदेशों में रखी गई अप्रकटित आस्ति को ३० सितम्बर, २०१५ तक घोषित करने तथा कर एवं जुरमाने का भुगतान करने हेतु उसके आगे भी तीन माह का अवसर प्रदान करती है। कर की दर जुरमाने के साथ उतनी ही रकम के साथ ३०% होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समायोजन पर समिति का गठन किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए एक मध्यावधिक (पांच वर्षीय) परिमेय कार्य योजना तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया है। इसके विचाराधीन विषयों में समर्थक भुगतान प्रणाली और ग्राहक संरक्षण ढांचे सहित वित्तीय समावेशन की मौजूदा नीति का पुनरीक्षण करना तथा इसके पूर्व गठित अन्य विविध समितियों की सिफारिशों पर विचार करना शामिल होंगे। यह समिति विशेषत: प्रौद्यो गिकी पर आधारित उन सुपुर्दगी मॉडलों, जो नीतियों एवं प्रथाओं की जानकारी दे सकते थे, के क्षेत्र में प्रमुख शिक्षाओं की पहचान करने के उद्देश्य से भुगतानों, जमा, ऋण, सामाजिक सुरक्षा अंतरणों, पेंशन और बीमा जैसे उसके विविध घटकों के अनुसार वित्तीय समावेशन के लिए एक मध्यम अवधि वाली योजना की भी सिफारिश करेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री दीपक मोहंती उक्त समिति के अध्यक्ष होंगे।

प्रतिभूतिकरण बाज़ार कार्यारंभ हेतु तैयार

भारतीय प्रतिभूतिकरण बाज़ार में बीमा, पेंशन और पारस्परिक निधियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वे दीर्घ अवधि के निवेश कर सकते हैं और उसके साथ ही उनमें कमतर अंश तक एक्सपोजर उठाने हेतु जोखिम अभिरुचि, क्षमता एवं विशेषज्ञता मौजूद है। हालांकि, पेंशन निधियों को प्र तिभूतिकरण प्रभाव अंतरण प्रमाणपत्रों (PTCs) में निवेश करने की अनुमति नहीं है और बीमा कम्प नियों को केवल उच्च निवेश श्रेणी एएए वाली प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति है। प्रतिभूतिकरण निवासी बंधकों, वाणिज्यिक बंधकों, वाहन ऋणों अथवा क्रेडिट कार्ड ऋण बाध्यताओं (अथवा ऐसी ऋणेतर आस्तियों जो प्राप्य राशियां सृजित करती हों) और उनसे सम्बन्धित नकदी प्रवाहों को ऐसी प्र तिभूतियों, जिन्हें बॉण्डों, प्रभाव अंतरण (Pass through) प्रतिभूतियों अथवा संपार्श्वीकृत ऋण बाध्यताओं (CDOs) के रूप में वर्णित किया जा सकता है जैसे विविध प्रकार के संविदात्मक ऋणों को समूहित करने की एक वित्तीय प्रथा है।

मौद्रिक नीति के पैनल में भारतीय रिज़र्व बैंक से तीन सदस्य होंगे

भारतीय वित्तीय संहिता के संशोधित प्रारूप के तहत इसके पूर्व प्रस्तावित दो की बजाय प्रस्तावित मौ द्रिक नीति समिति (MPC) में भारतीय रिज़र्व बैंक से तीन सदस्य होंगे। उक्त संहिता के कारण (ब्याज दर जैसी) मौद्रिक नीति कार्रवाइयों का निर्णय भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर द्वारा अकेले ही लिए जाने की वर्तमान प्रणाली इस प्रकार का निर्णय बहुमत द्वारा लेने वाली मौद्रिक नीति समिति द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी। संशोधित प्रारूप के अनुसार उक्त मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष भारतीय रिज़र्व बैंक के अध्यक्ष होंगे तथा उसमें सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले चार सदस्यों के अलावा उसके बोर्ड के एक कार्यपालक सदस्य और अध्यक्ष द्वारा नामित उसके एक कर्मचारी का समावेश होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने चलनिधि समायोजन सुविधा के जरिये नकदी की सुपुर्दगी आसान बनाया

अंत: दिवसीय मांग मुद्रा दिनों को अस्थिरता पर चिंतित भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों को निधियां नियत दर पुनर्खरीद (repo) और प्रति पुनर्खरीद सुविधा के तहत यथा समय आधार पर प्रदान करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक का ध्येय एक-दिवसीय दरों को पुनर्खरीद दरों अर्थात् ७.०% के जितनी ही रखना है। यह उपाय पात्र सहभागियों को बोली और प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद (संपार्श्विक अथवा निधियों की उपलब्धता की शर्त पर) निर्धारित समय वाली सुविधा के भीतर तत्काल जमा या नामे प्राप्त करने में समर्थ बनाएगा। बैंकों को उनकी मांग एवं सावधि देयताओं (NDTL) के ०.२५% तक उधार लेने की अनुमति है। पात्र सहभागियों को इनका परिचालन करने के लिए लचीलापन प्रदान करने हेतु चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) और सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) खिड़कियों की समय सीमा को निकट भविष्य में अपेक्षाकृत लम्बी आवधि तक बढ़ाया जाएगा। एक-दिवसीय दर में अस्थिरता जुलाई की शुरुआत से परिलक्षित हुई , क्योंकि उच्चतर सरकारी व्ययों के कारण चलनिधि अधिशेष की स्थिति निर्मित हो गई। भातीय रिज़र्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियां बेच कर इस अधिशेष को अवशोषित करने का प्रयास किया। आगामी कुछेक माह में चलनिधि अधिशेष के बने रहने की आशा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए ऋण पुनर्व्यवस्था मोचन-निषेध को विस्तारित किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए परियोजनाओं के पुनर्संरचित ऋणों पर मोचन-निषेध के प्रसार क्षेत्र को उसे बैंकों के समरूप लाकर विस्तारित कर दिया है। अब, ऋणदाता पुनर्संरचित ऋणों को किसी परियोजना के कुल ७ वर्ष तक रुके रहने की स्थिति में मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, बशर्ते अंतिम दो वर्षों की देरी स्वामित्व में परिवर्तन के कारण हुई हो। भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनवरी में गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को उन परियोजनाओं, जो दो वर्षों से रुकी पड़ी हैं, को प्रदत्त ऋणों को उनकी पुनर्संरचना किए जाने के बाद भी उस स्थिति में मानक के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति दी थी जब ऐसी पुनर्व्यवस्था में केवल चुकौती कार्यक्रम शामिल हो। इसके अतिरक्त न्यायालयों में विवाचन के कारण रुकी मूलभूत सुविधा परियोजनाओं के मामले में दो वर्ष की एक और छूट भी प्रदान की गई है।

विनियामकों के कथन

और सुधारों की आवश्यकता

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन ने अर्थव्यवस्था और पूंजीगत निवेश पर टिप्पणी की है। "कुछेक रुकी परियोजनाओं को पटरी पर वापस लाने की निरंतर जरूरत है। सरकार उन पर काम कर रही है। किन्तु हमें यह सुनिश्चित करने हेतु कि वृद्धि सुदृढ़ तथा बनाए रखने योग्य हो, उन रुकावटों को दूर करना होगा और उन क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा जिनमें हमें सुधारों की जरूरत है। भारतीय रिज़र्व बैंक वृद्धि की संभावना को बनाए रखते हुए भारतीय बॉण्डों के विदेशी स्वामित्व से सम्बन्धित सीमा का

वर्ष में दो बार पुनरीक्षण करना चाहता है। सीमा के निकट पहुंच जाने के परिणामस्वरूप वैश्विक निवेशक अन्य बाज़ारों की तुलना में भारतीय बॉण्डों पर अधिक प्रतिलाभ मिलने के कारण उनके बारे में उत्सुक हैं।"

वित्तीय समावेशन को फैलाने के लिए समन्वित प्रयासों की जरूरत

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एस.एस. मूंदड़ा ने गरीबी के मुद्दे से निपटने के एक साधन के रूप में वित्तीय समावेशन की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने यह कहते हुए कि विविध एजेन्सियों सरकार, वित्तीय संस्थाओं, उद्योग तथा उपभोक्ता संघों से समन्वित प्रयासों की जरूरत है वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण के बीच सह-सम्बन्ध पर भी बल दिया है। उपभोक्ताओं को उपयुक्त रीति से सेवा प्राप्त होने पर उनमें विश्वास का संचार होता है और तदुपरांत इस प्रकार की उत्पाद संवृद्धि के लिए आवश्यकता और मांग पैदा होती है।

नये बासेल III मानदंडों से वृद्धि प्रभावित होगी

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एस.एस. मूंदड़ा के अनुसार बासेल III मानदंडों के तहत नये अंतरराष्ट्रीय विनियामक उपायों का आर्थिक वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव होगा तथा सभी देशों के लिए इस तथ्य का सामना करने हेतु तैयार रहने की आवश्यकता होगी। विशेषत: टियर I पूंजी के सामान्य इक्विटी तत्व तथा पूंजी भण्डारों एवं न्यूनतम चलनिधि आवश्यकताओं में बढ़ी पूंजी आवश्यकताओं के संयोजन से बैंकों के मामले में इक्विटी पर प्रतिलाभ में कमी आने की संभावना है। श्री मूंदड़ा यह सुझाव देते हैं कि "बैंक इस स्थिति का मुकाबला खुदरा जमाराशियों से सम्बन्धित दरों को घटाकर, स्टाफ प्रतिकर घटाकर; अथवा उत्पादों पर मार्जिन बढ़ा कर कर सकते हैं। खुदरा जमाराशियों की दरों में कमी के दो परिणाम हो सकते हैं। पहला, इसके परिणामस्वरूप अमध्यस्थीकरण में बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरा, वे भारत जैसी बैंक के प्रभुत्व वाली अर्थव्यवस्था में परिवारों की समग्र बचत दर को प्रभावित कर सकते हैं।"

बीमा

बीमाकर्ताओं द्वारा अनुमोदित निवेश केवल सीएनएक्स २००, बीएसई २०० कम्पनियों में ही हो सकते हैं

निवेशों पर अपने नये प्रारूप में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने कहा है कि केवल सीएनएक्स २०० अथवा बीएसई २०० में इक्विटी निवेशों को ही अनुमोदित निवेश माना जा

सकता है। निवेश के लिए अन्य अनुमोदित लिखतों में अचल सम्पत्ति पर प्रथम प्रभार द्वारा डिबेंचर भी शामिल

होंगे। अनुमोदित प्रतिभूतियों में किसी ऐसी कम्पनी, जिसने अपने साधारण शेयरों पर लाभांशों का भुगतान किया हो, के अधिमानी शेयर अथवा किसी ऐसी अन्य कम्पनी के उन अधिमानी शेयरों का समावेश होगा जिन पर लाभांशों का भुगतान किया गया हो। बॉण्डों सहित श्रेणी-निर्धारित डिबेंचरों को अन्य प्रतिभूत ऋण लिखतों के साथ अनुमोदित लिखत माना जाएगा।

इर्डाई समूह बीमा ई-कॉमर्स में अवसरों की तलाश करेगा

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ई-कॉमर्स क्षेत्र में अवसरों की तलाश करने हेतु दो समूहों का गठन कर रहा है - एक जीवन बीमा में और एक सामान्य बीमा में। वे उच्चतर कार्य-कुशलताएं लाने तथा प्रसार क्षेत्र को फैलाने के साथ ही बीमा व्यवसाय करने की लागत घटाने के लिए बीमा अंतराल में ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने में सहायता करने हेतु उत्सुक हैं। इस व्यवस्था से डिजिटल रूप से सशक्त समाज तथा ज्ञानसंपन्न अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के उद्देश्य वाली सरकार की डिजिटल इंडिया पहलकदमी का उपयुक्त रूप से लाभ उठाया जा सकेगा। सदस्यों के रूप में उद्योग के अग्रणियों श्री संदीप बख्शी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आईसीआईसीआई प्रूडेंसियल लाइफ इंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड और श्री तपेन सिंहल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बजाज एलाएंज जनरल इंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड को शामिल करते हुए पैनलों का गठन किया गया है। वे बीमा क्षेत्र में ई-कॉमर्स के अवसरों की पहचान करेंगे , ई-कॉमर्स के लिए प्रौद्योगिकीय समाधानों की सिफारिश करेंगे, ई-कॉमर्स के विकास के लिए विनियामक एवं अन्य सुसाध्यीकरण उपायों का सुझाव देंगे तथा केन्द्र की डिजिटल इंडिया पहलकदमी के साथ सहयोग करेंगे।

अर्थव्यवस्था

वित्त वर्ष १६ में सकल घरेलू उत्पाद ८% बढ़ेगा : पांच वर्षों में ३ ट्रिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंचेगा

नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया के अनुसार वर्तमान वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर के बढ़कर ८% हो जाने की आशा है तथा अर्थव्यवस्था पांच वर्ष से कम की अवधि में ३ ट्रिलियन अमरीकी डालर का स्तर पार कर जाएगी।

फिच द्वारा २९१५ में भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के ७.८% रहने का पूर्वानुमान

वैश्विक रेटिंग एजेन्सी फिच के अनुसार २०१५ में भारत के ७.८% की दर से बढ़कर चीन की वृद्धि दर से आगे निकल जाने और उसके बाद वाले वाले वर्षों में ८% और ८ १% की दर से बढ़ने की आशा है।

ब्राजील रूस भारत चीन दक्षिण अफ्रीका (BRICS) समूह में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि इस वर्ष भारत में ७.८%, रूस में ३% और ब्राजील में १.०% के संकुचन वाली श्रेणी में रहेगी। जहां तक चीन का सम्बन्ध

है, वृद्धि दर क्रमिक ढांचागत मंदी वाली स्थिति में है तथा फिच का २०१५ में ६.८%, २०१६ में ६.०% और २०१७ में ६% वृद्धि से सम्बन्धित पूर्वानुमान अपरिवर्तित बना हुआ है।

विदेशी मुद्रा

अगस्त २०१५ माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की न्यूनतम दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक)जमाराशियों के लिए लिबोर / अदला-बबदली

	लिबोर	अदला-बदली	

मुद्रा	१ वर्ष	२ वर्ष	३ वर्ष	४ वर्ष	५ वर्ष
अमरीकी डालर	०.५८९००	०.९६५००	१.३०७५०	१.५६२००	१.७६९००
जीबीपी	०.७६४७०	१.१६२८	१.४२६००	१.६१६२	१.७२८९
यूरो	०.०५८७०	०.१०४	०.१९६	०.२८९	०.४२३
जापानी येन	०.१४८८०	०.१५४	०.१६४	०.२०१	०.२५४
कनाडाई डालर	०८५०००	०.७९१	०.९२२	१.०८८	१२५१
आस्ट्रेलियाई डालर	२.०७२००८	२.०९८	२.२००	२.४४५	२.५९५
स्विस फ्रैंक	-०.६८०००	-०.६६४	-०.५२०	-०.४२२	-०.२६०
डैनिश क्रोन	०.२०९००	०.२८८०	०.४२५०	०.५६२१	०.७२२०
न्यूजीलैंड डालर	२.९००००	२.९१०	२. ९८०	३.०७०	३.१९०
स्वीडिश क्रोनर	-०.२४०००	-०.११७	०.१०४	०.२२२	०.५७५
सिंगापुर डालर	१.२६०००	१.५९०	१.८६०	२.१००	२.२७०
हांगकांग डालर	०.६००००	०.९१०	१.२६०	१.५००	१.६८०
म्यामार	३.७७०००	३.८१०	३.८५०	३.९५०	४.०६०

स्रोत : www.fedat.org.in

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	२४ जुलाई २०१५ के दिन	२४ जुलाई २०१५ के दिन
	बिलियन् रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
	१	२
कुल प्रारक्षित निधियां	२२, ५५१, ८	३५३, ६४८.१

क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	२०, ९९०.३	३३९, २६०.६
ख) सोना	१, २१६, १	१९, ०७६. ३
ग) विशेष आहरण अधिकार	२०७, १	६, ०२६.२
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	८३.३	१, ३०६.३

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

नयी नियुक्तियां

नाम	पदनाम / संगठन
सुश्री गीता मुरलीधर	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड
श्री आनंद कृष्णस्वामी	प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, दि कैथलिक सीरियन बैंक लि.

ब्रिक्स सेंट्रल बैंक ने समझौता हस्तारित किया

ब्रिक्स सेंट्रल बैंक के प्रमुखों ने प्रारक्षित मुद्रा समूह के सम्बन्ध में एक परिचालनात्मक करार हस्ताक्षरित किया है। ब्रिक्स के सदस्य देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। प्रारक्षित मुद्रा समूह की कुल रकम १०० बिलियन अमरीकी डालर है। देशों की प्रतिबद्धताएं निम्नानुसार हैं : चीन ४१ बिलियन अमरीकी डालर, ब्राजील १८ बिलियन अमरीकी डालर, रूस १८ बिलियन अमरीकी डालर, भारत १८ बिलियन अमरीकी डालर और दक्षिण अफ्रीका ५ बिलियन अमरीकी डालर।

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ	उद्देश्य
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	भारतभर की शूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने हेत।
फेडरल बैंक	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम	मोबाइल आधारितभुगतानों के साथ खुदरा भण्डारों में भुगतानों सहितकिसी भी प्रकार का भुगतान करने के लिए स्कान एन पे की शुरुआत करने हेतु
देना बैंक	मुद्रा लि.(सूक्ष्म इकाई विकासएवं पुनर्वित्त एजेन्सी लि.)	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की योजना के तहत वित्त प्रदान करने हेतु।

आईडीबीआई बैंक	अतुल ऑटो	उसके वाहनों की सम्पूर्ण श्रेणी के लिए खुदरा ग्राहकों का वित्तीयन करने हेतु।
कारपोरेशन बैंक	मुद्रा बैंक कार्ड	विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में कार्यरत कृषीतर सूक्ष्म इकाइयों के तहत निधीयन रहित का १० लाख रुपये तक वहनीय ऋण सहित निधीयन करने हेतु।

कोटक महिन्द्रा बैंक	श्री अमीष त्रिपाठी	क्रॉसवर्ड में खरीदी जाने वाली किसी भी पुस्तक पर १५% की छूट प्राप्त कर सकते हैं।
ड्यूश बैंक	इन्फोसिस	विकास, अनुप्रयोग, रख-रखाव, डिजिटल और मोबिलिटी पैकेज के कार्यान्वयन जैसी सेवाएं तथा पूरे ड्यूश बैंक समूह में परीक्षण सेवाएं प्रदान करने हेतु।
भारतीय स्ट्रेट बैंक	MakeMyTrip.com	व्यवसाय अवसरों की सरणियां खोलने तथा यात्रा बाज़ार के अवसरों को ऑफलाइन से ऑनलाइन में विस्तारित करने हेतु।
भारतीय स्टेट बैंक	BankbaZar.com	प्रौद्योगिकी से परिचित संभाव्य उधारकर्ताओं को गृह ऋणों के लिए आवेदन करने ऑनलाइन प्लेटफार्म उपलब्ध कराने हेतु।
ऐक्सिस बैंक	एशियाई विकास बैंक	किसानों को ग्राहकीकृत एवं वहनीय कृषि ऋण प्रदान करके खेती की कुशलता बढ़ाने हेतु।
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)	स्नैपडील	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विक्रेताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु।
सिटी बैंक इंडिया	मास्टरकार्ड	२,५०,००० -कॉमर्स व्यापारिक प्र तिष्ठानों में खरीदारी करने हेतु।

शब्दावली

विगत प्राप्य राशि

किसी ऋण की वह अदायगी जिसका उसकी देय तिथि को भुगतान न किया गया हो। विगत प्राप्य श्रेणी वाले किसी उधारकर्ता से जब तक कि उधारकर्ता अब भी अनुग्रह अवधि के भीतर न हो विलंब शुल्क वसूल किया जा सकता है। किसी ऋण को समय पर चुकाने में विफलता का उधारकर्ता की ऋण है सियत पर नकारात्मक निहितार्थ हो सकता है अथवा ऋण की मीयाद को स्थायी तौर पर समायोजित करने की स्थिति पैदा हो सकती है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

ऋण जोखिम

यह जोखिम कि किसी संविदात्मक करार का कोई पक्षकार अपने दायित्व को पूरा करने में असमर्थ होगा अथवा प्रतिबद्धताएं निभाने में चूक करेगा। ऋण जोखिम प्राय: किसी भी वित्तीय लेनदेन से जुड़ा हो सकता है। बासेल II में ऋण जोखिम पर पूंजीगत प्रभार के मापन के लिए दो विकल्पों का प्रावधान है :

१. मानकीकृत दृष्टिकोण (SA) : मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन बैंक बाहरी साख निर्धारण एजेन्सियों द्वारा निर्धारित रेटिंग के आधार पर जोखिम भार निर्धारित करके अपनी आस्तियों के ऋण जोखिम को मापने के लिए जोखिम भार सूची का उपयोग करते हैं।

२. आंतरिक रेटिंग पर आधारित दृष्टिकोण (IRB) : दूसरी ओर आंतरिक रेटिंग पर आधारित दृष्टिकोण बैंकों को प्रतिपक्षियों एवं एक्सपोजरों की स्वयं अपनी आंतरिक रेटिंग का उपयोग करने की अनुमति देता है जो विभिन्न एक्सपोजरों के लिए जोखिमों के अपेक्षाकृत विभेदन की अनुमति देते हैं और इसलिए ऐसी पूंजी आवश्यकताएं उपलब्ध कराता है जो जोखिम के स्तर से जुड़ी होती हैं। आंतरिक रेटिंग पर आधारित दृष्टिकोण दो प्रकार के होते हैं :

क) बुनियादी आंतरिक रेटिंग पर आधारित (FIRB) :

बैंक प्रत्येक उधारकर्ता से जुड़ी चूक की संभाव्यता (PD) का अनुमान लगाता है तथा पर्यवेक्षक हानिकर चूक (LGD), चूकपरक एक्सपोजर (EAD) जैसी अन्य सूचनाओं की आपूर्ति करता है।

ख) उन्नत आंतरिक रेटिंग पर आधारित दृष्टिकोण (AIRB) : चूक की संभाव्यता के अलावा बैंक चूकपरक एक्सपोजर और हानिकर चूक जसी अन्य सूचनाओं का अनुमान लगाता है। इस दृष्टिकोण की अपेक्षाएं अधिक सटीक होती हैं। उन्नत दृष्टिकोणो के अंगीकरण के लिए बैंक के लिए प्रारंभ मे तथा निरंतर आधार पर आंतरिक रेटिंग से सम्बन्धित रेटिंग प्रणाली की डिज़ाइन, परिचालन, नियत्रण, कारपोरेट अभिशासन और प्राक्कलन तथा ऋण जोखिम के संघटकों का वैधीकरण यथा बुनियादी आंतरिक रेटिंग पर आधारित और उन्नत आंतरिक रेटिंग पर आधारित दोनों के लिए चूक की संभाव्यता और उन्नत आंतरिक रेटिंग पर आधारित के लिए हानिकर चूक एवं चूकपरक एक्सपोजर जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना जरूरी होगा। न्यूनतम स्तर पर बैंकों के पास चूक की संभाव्यता के लिए ५ वर्ष के आंकड़े तथा हानिकर चूक और चूकपरक एक्सपोजर के लिए V वर्ष के आंकड़े मौजूद होने चाहिए। भारत में बैंकों को ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता का परिकलन मानकीकरण दृष्टिकोण आपनाते हुए करने की सलाह दी गई है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

अगस्त २०१५ माह के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम

सं.	कार्यक्रम	दिनांक	स्थल
१	देना बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों का उन्नत ऋण प्रबन्धन पर प्रशिक्षण	३ से ५ अगस्त, २०१५	मुंबई

२	प्रमाणित ऋण अधिकारियों का परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	१V से २१ अगस्त, २०१५	चेन्नै
३	प्रमाणित ऋण अधिकारियों का परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	२६ से २८ अगस्त, २०१५	मुंबई
६	प्रमाणित बैंकिंग अनुपालन अधिकारियों का परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	२६ से २८ अगस्त, २०१५	मुंबई

संस्थान समाचार

वार्षिक साधारण सभा

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस के सदस्यों की ८८वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन सोमवार, २६ अगस्त २०१५ को सायं ६.०० बजे आईआईबीएफ सभागृह, मेकर टावर, कफ परेड, मुंबई ६०० ००५ में किया जाएगा।

भारतीय बैंकों में जोखिम प्रबन्धन एवं अनुपालन पर ६ सितम्बर, २०१५ को संगोष्ठी

वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में जोखिम प्रबन्धन एवं अनुपालन के रणनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस ने शुक्रवार, ६ सितम्बर, २०१५ को लीडरशिप सेंटर, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस में "भारतीय बैंकों में जोखिम प्रबन्धन एवं अनुपालन" पर एक संगोष्टी का आयोजन किया है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.orgin देखें।

एपीएबीआई सम्मेलन २०१५

बैंकिंग संस्थानों का एशिया प्रशांत संघ (APABI) एशिया प्रशांत क्षेत्र में बैंकिंग संस्थाओं का एक अर्ध औपचारिक ढांचा है। इसकी स्थापना १९८६ में ११ संस्थापक सदस्यों द्वारा की गई थी। वित्तीय उद्योग के उन प्रशिक्षण संस्थानों को एक साथ लाने मे इस संघ ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को उन रूपांतरणकारी गतिविधियों से निपटने की क्षमता से सुस ज्जित करन के एक साझे ध्येय में शामिल हैं, जो वित्तीय क्षेत्र को उसकी सर्वाधिक मूल्यवान आस्ति, मानवीय पूंजी के निरंतर नवीकरण को समर्थन दे कर उसे नया रूप दे रही हैं। वर्तमान मे बैंकिंग संस्थानों के एशिया प्रशांत संघ (APABI) में १८ सदस्य संस्थान शामिल हैं। बैंकिंग संस्थानों के ए शिया प्रशांत संघ (APABI) के सदस्य किसी एक सदस्य देश में सम्मेलन के साथ दो वर्ष में एक बार मिलते हैं।

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस (IIBF) वर्ष २९१५ हेतु बैंकिंग संस्थानों के एशिया प्रशांत संघ (APABI) के लिए मेज़बान संस्थान होगा। संस्थान २२ सिततम्बर, २०१५ को होटल ओबेराय, डॉ. ज़ाकिर हुसैन मार्ग, नई दिल्ली मे आयोजित होने वाले बैंकिंग संस्थानों के एशिया प्रशांत संघ (APABI) के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। उक्त सम्मेलन की मुख्य विषय-वस्तु है "बैंकिंग में नयी रूपावली"। सम्मेलन के दिन ही २२वें पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास स्मारक व्यख यान का भी आयोजन किया जाएगा, जिसका विषय होगा "वित्तीय सेवाओं का भविष्य : वित्तीय सेवाएं जिस विधि से संरचित की जा रही हैं, मुहैया कराई जा रही हैं और उपयोग में लाइ जा रही हैं

उन्हें विघटनकारी नवोन्मेष किस प्रकार नया रूप दे रहे हैं।"

आर.के. तलवार स्मारक व्याख्यान

Tठा आर.के. तलवार स्मारक व्याख्यान नीति आयोग, भारत सरकार के उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनग ढ़िया द्वारा १V जुलाई, २०१५ को भारतीय स्टेट बैंक सभागृह, मुंबई में दिया गया। उक्त व्याख्यान में डॉ. ऊर्जित पटेल, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक और अनेक वरिष्ठ बैंकरों की उपस्थिति रही। उक्त व्याख्यान संस्थान की वेबसाइट www.iibf.org.in पर उपलब्ध है।

ग्राहक शिक्षण, जागरूकता और सशक्तिकरण पर गुवाहाटी में संगोष्ठी

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस द्वारा ३ जुलाई , २०१५ को गुवाहाटी में ग्राहक शिक्षण, जागरूकता और सशक्तिकरण पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया । उक्त संगोष्ठी का आयोजन भारतीय बैंक प्रबन्धन संस्थान (IIBM) के सहयोग से और उनके सभागृह में किया गया। इस संगोष्ठी के प्रति सदस्य बैंकों की अनुक्रिया उत्साहवर्धक रही और विविध बैंकों एवं कुछेक गैर-सरकारी संगठनों द्वारा लगभग १०० प्रतिनिधियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। इस संगोष्ठी में प्रति ष्ठित वक्ताओं में श्री एस.एस. बारिक, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, श्री चरण सिंह, कार्यपालक निदेशक, यूको बैंक, श्री एस.के. मागू, मुख्य महा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक , श्री एन.डी. पुरकायस्थ, मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, डॉ. अमिय शर्मा, कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि और डॉ. जे.एन. मिश्र, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस का समावेश था।

कारबार संपर्कियों / कारबार सुसाधकों (प्रधान मंत्री जन-धन योजना) के लिए प्रमाणपत्र परीक्षा

संस्थान ने प्रधान मंत्री जन-धन योजना के तहत कारबार संपर्कियों / कारबार सुसाधकों के लिए एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। उक्त परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम है "इनक्लूसिव बैंकिंग थ्रू बिजिनेस करेस्पॉडेंट - ए टूल फॉर पीएमजेडीवाई" उक्त पुस्तक पांच भाषाओं - (अंग्रेजी, हिन्दी, मराठी, तमिल और गुजराती) में प्रकाशित की गई है तथा वह कुछ समय में तेलुगू, उड़िया असमी, कन्नड़,

मलयालम, बंगाली में भी उपलब्ध कराई जाएगी। आगामी परीक्षा ३ सितम्बर, २,०१५ को आयोजित होने वाली है। (अधिक जानकारी के लिए www.iibf.orgin देखें।)

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों / महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्दिष्ट तिथि

प्रश्नपत्र में समावेश के लिए संस्थान द्वारा किसी कैलेण्डर वर्ष के मई / जून के दौरान आयोजित की

जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में विनियामक/ कों द्वारा जारी अनुदेश / दिशानिर्देश और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में उस वर्ष के केवल ३१ दिसम्बर तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही पर ही विचार किया
जाएगा।

प्रश्नपत्र में समावेश के लिए संस्थान द्वारा किसी कैलेण्डर वर्ष के नवम्बर / दिसम्बर के दौरान आयो जित की जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में विनियामक/ कों द्वारा जारी अनुदेश / दिशानिर्देश और बैं किंग एवं वित्त के क्षेत्र में उस वर्ष के केवल ३० जून तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

संस्थान की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य (मास्टर) परिपत्रों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपनी वेब साइट पर डाल रखी है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

नयी पहलकदमी

वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये भेजने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास अपने ई-मेल पते अद्यतन करवा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

---

* भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : ६९३२८/१९९८ के अधीन पंजीकृत * डाक पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / उत्तर-पूर्व -२९७/ २०१३-१५ * प्रत्येक महीने की २५वीं को प्रकाशित * प्रेषण तिथि प्रत्येक माह की २५ से ३० तक * मुंबई प त्रिका चैनल छटाई कार्यालय मुंबई -१ में प्रेषित * डब्ल्यूपीपी लाइसेंस सं. एमआर /टेक /डब्ल्यूपीपी -६२/ एनई/२०१३- १६ * चुकौती के बिना प्रेषण का लाइसेंस

विजन डाक्यूमेंट की हार्ड प्रतियों का प्रेषण

संस्थान जिन्होंने उसके पास अपने अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत करा रखे थे उन सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा मासिक आईआईबीएफ विजन अग्रेषित करता है। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल आईडी संस्थान के पास पंजीकृत नहीं करवाए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे उसे संस्थान के पास ३० सितम्बर, २०१५ को या उससे पहले पंजीकृत करवा लें। **संस्थान अक्तूबर, २०१५ से सभी सदस्यों को आईआईबीएफ विजन की हार्ड प्रतियां भेजना बंद कर देगा।** सदस्यों से इस बात को ध्यान में रखने

का अनुरोध है कि भविष्य में आईआईबीएफ विजन की केवल सॉफ्ट प्रतियां ही ई-मेल के जरिये भेजी जाएंगी।

बाज़ार की खबरें

भारित औसत मांग दरें

V.००
V.००
६.००
६.००
०.००
०.००

०१/०V/१५ ०४/०V/१५ ०८/०V/१५ ११/०V/१५ १६/०V/१५ २१/०V/१५ २४/०V/१५ २५/०V/१५
२८/०V/१५ २९/०V/१५

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, जुलाई, २०१५

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

११०.००
१००.००
९०.००
८०.००
V०.००

६०.००
५०.००

०१/०५/१५ ०३/०५/१५ ०८/०५/१५ १०/०५/१५ १४/०५/१५ १५/०५/१५ २१/०५/१५
२२/०५/१५
२४/०५/१५ २८/०५/१५ २९/०५/१५ ३१/०५/१५

अमरीकी डालर यूरो १०० जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

२८६००
२८४००
२८२००
२८०००
२७८००
२७६००
२७४००
२७२००
२७०००

०१/०५/१५ ०२/०५/१५ ०६/०५/१५ ०९/०५/१५ १६/०५/१५ २१/०५/१५ २२/०५/१५ २८/०५/१५
३०/०५/१५

स्रोत : बम्बई शेयर बाज़ार (BSE)

डॉ. जे. एन. मिश्र द्वारा मुद्रित, डॉ. जे. एन. मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , ६- बी मोहता भवन, ३री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - ४०० ०१८ में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल-II,, टॉवर -१, २री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -४०० ०५० से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. जे. एन. मिश्र

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर - १, २री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)

मुंबई - ४०० ०७०
टेलीफोन : ९१-२२ २५०३ ९६०४ / ९६०७ फैक्स : ९१-२२-२५०३ ७३३३
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom0 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न अगस्त, २०१५